पत्र संख्या—वन भूमि—25/2015 1244 व0प0

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सचिव,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग,
अलीगंज रोड, नई दिल्ली—110003

राँची, दिनांक — 03.03.2016

विषय :— देवघर वन प्रमण्डल अन्तर्गत पुनासी जलाशय योजना हेतु 291.17 हे0 वन भूमि अपयोजन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक देवघर वन प्रमंडल अंतर्गत वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् पुनासी जलाशय योजना हेतु पूर्व में 288.62 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया था।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा इस प्रस्ताव को Close करते हुए संशोधित प्रस्ताव समर्पित करने का निर्देश दिया गया है।

भारत सरकार के उक्त दिशा—निर्देश के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण (जल संसाधन विभाग) द्वारा Online प्रस्ताव समर्पित किया गया है। उक्त प्रस्ताव की हार्ड कॉपी प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक—1312 दिनांक—16.12.2015 एवं पत्रांक—204 दिनांक—15.02.2016 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया है, जिसकी छायाप्रति सभी अनुलग्नकों के साथ आवश्यक कारवाई हेतु संलग्न है।

प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित है—

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विहित प्रपत्र Form A Part—I में प्रस्ताव Online समर्पित किया गया है।
2. Part—II में वन प्रमंडल पदाधिकारी देवघर वन प्रमंडल, Part—III में वन संरक्षक, देवघर तथा Part—IV में नोडल पदाधिकारी की अनुशंसा/मंतव्य अंकित है।
3. प्रस्ताव के साथ परियोजना से संबंधित Environment Clearance, जो वर्ष 1982 में प्राप्त है, की छायाप्रति संलग्न है।
4. वन प्रमंडल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमंडल तथा वन संरक्षक, देवघर अंचल का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
5. प्रस्तावित वनभूमि की विवरणी निम्नवत् है—

क्र0 सं0	वन प्रमंडल का नाम	अधिसूचित वनभूमि का रकबा (हे0में)	जंगल—झाड़ी का रकबा (हे0 में)	कुल रकबा
1.	देवघर	254.68	36.49	291.17

6. प्रश्नगत परियोजना में कुल 2068.92 हे0 भूमि सन्निहित है। जिसमें वनभूमि 291.17 हे0 सन्निहित है तथा शेष गैर वनभूमि है।
7. प्रश्नगत वनभूमि की विस्तृत विवरणी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
8. प्रस्तावित वनभूमि के kml File से संबंधित Coordinates की विवरणी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
9. प्रस्तावित वनभूमि का Component wise विवरणी निम्नवत् है—

(i)	Submergence area	-	210.94 ha
(ii)	Dam	-	9.23 ha
(iii)	Spillway	-	42.27 ha
(iv)	Canal	-	28.79 ha
	Total	-	291.17 ha

E/16-वनभूमि LETTER-14 (Mukesh)

10. प्रस्ताव के साथ लागत–लाभ विश्लेषण संलग्न है।

11. FRA, 2006 के तहत् उपायुक्त, देवघर द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

12. प्रस्ताव के साथ ग्राम सभा का रिजोल्युशन संलग्न है।

13. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित वनभूमि के विरूद्ध 720.23 एकड़ गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा चिन्हित की गई है।

14. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित गैर वनभूमि के संबंध में वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत उपयुक्तता प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

15. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित गैर वनभूमि का नक्शा एवं क्षतिपूरक वनरोपण का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। साथ ही CA Land का DGPS Reading भी संलग्न है।

16. प्रस्तावित वनभूमि पर अवस्थित वृक्षों की गणना सूची प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

17. अपयोजित होने वाले वनभूमि की टोपोशीट तथा Village Map प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

18. विस्थापितों की ग्रामवार सूची प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

19. प्रस्ताव के साथ R & R Plan तथा CAT Plan संलग्न है।

20. प्रस्ताव के साथ सन्निहित जंगल–झाड़ भूमि का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

उपर्युक्त के आलोक में निम्नांकित शर्तो के साथ विषयक 291.17 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर अग्रत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय :–

(क) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।

(ख) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रस्तावित वनभूमि के NPV की राशि का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण को करना होगा।

(ग) प्रस्तावित वनभूमि के समतुल्य गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित कराया जायेगा तथा इस पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।

(घ) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन कर गैर वानिकी कार्य किए गए क्षेत्र के लिए प्रयोक्ता अभिकरण को दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि देना बाध्यकारी होगा।

(ड़) अन्य मानक शर्तो का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

3/3/16

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– वन भूमि–25/2015 1244 व0प0, राँची, दिनांक 03·03·2016

प्रतिलिपि–अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय–राँची, बंगला नं0–A2, श्यामली कॉलोनी, राँची–834002 को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

3/3/16

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– वन भूमि–25/2015 1244 व0प0, राँची, दिनांक 03·03·2016

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, जसीडीह, शिविर–देवघर, झारखण्ड–814112 को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/16

सरकार के उप सचिव

PART – V

(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 291.17 ha of Forest Land for Punasi Reservoir Project in Deoghar Forest Division.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for diversion of 291.17 ha of Forest Land with conditions as stated in the forwarding letter no. 1244 dated 03.03.2016.

Signature : [signature] 3/3/16

Name & Designation : Sunil Kumar
(Dy. Secretary)
Forest, Environment & Climate Change Department

उप सचिव
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
झारखण्ड, राँची

Date : 03.03.2016

Place : Ranchi

(Official Seal)

कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांकः– 1312 दिनांकः– 16.12.2015

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड, राँची।

विषय :– देवघर वन प्रमंडल अन्तर्गत पुनासी जलाशय योजना हेतु 291.17 हे0 वन भूमि अपयोजन के संबंध में।

प्रसंग :– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, संथाल परगना, दुमका का पत्रांक 1959 दिनांक 11.12.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, संथाल परगना, दुमका के प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा देवघर वन प्रमंडल के अन्तर्गत पुनासी जलाशय योजना हेतु 291.17 हे0 अधिसूचित वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव MoEF की Website पर Online अपलोड करते हुए एवं उसकी हार्ड कॉपी छः प्रतियों में प्राप्त हुआ है।

प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित सूचनाएँ एवं तत्संबंधी अभिलेख संलग्न है :–

1. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विहित प्रपत्र Form 'A' Part I में परियोजना से संबंधित सभी विवरण अंकित किए गए हैं।
2. Environment Clearance संलग्न है।
3. Part-II में वन प्रमंडल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमंडल का प्रतिवेदन/मंतव्य अंकित है। साथ ही स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।
4. Part-III में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर की अनुशंसा अंकित है।
5. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, संथाल परगना, दुमका का अनुशंसा Part III A में अंकित है एवं स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
6. प्रस्तावित वन की विवरणी प्रस्ताव में संलग्न हैं।
7. वन प्रमंडल से संबंधित प्रस्ताव के साथ लागत लाभ विश्लेषण संलग्न है।

D:\SUNIL\Proposal (A)\Punasi Jalashya \Punasi Jalasya 14.12.15

8. FRA, 2006 के तहत् संबधित दावा संबंधी प्रक्रिया पूर्ण करने की सूचना तथा तत्संबंधी उपायुक्त, देवघर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न है।

9. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित वन भूमि के विरूद्ध 720.23 एकड़ उपलब्ध करायी गयी गैर वन भूमि का अवभार मुक्त, अमिक्रमण मुक्त एवं विवरण संलग्न है।

10. प्रस्तावित वन भूमि पर प्रजातिवार अवस्थित वृक्षों की गणना सूची संलग्न है।

11. ग्राम सभा रिज्युलेशन संलग्न है।

12. अपयोजित होने वाले वन भूमि एवं क्षतिपूरक वनरोपण हेतु भूमि का map संलग्न है।

13. विस्थापियों की ग्रामवार सूची संलग्न हैं

14. R & R Plan संलग्न है।

15. अद्योहस्ताक्षरी का अनुशंसा Part-IV पर संलग्न है, इसे Online Upload कर दिया गया है।

प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।

अतः प्रस्ताव की चार प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि सैद्धांतिक सहमति हेतु अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

16/12/2015

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

112

जालना
15/2/16

कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रॉची ।

पत्रांकः– ई0डी0 204   दिनांकः– 15/2/16

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय– देवघर वन प्रमंडल अंतर्गत पुनासी जलाशय योजना हेतु 291.17 हे0 वनभूमि अपयोजन के संबंध में।

प्रसंग– सरकार का ज्ञापांक– वनभूमि– 25/2016–209 दिनांक– 13.01.2016.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में सूचित करना है कि पुनासी जलाशय योजना में पड़ने वाले 36.49 हे0 (90.13 एकड़) सन्निहित जंगल–झाड़ी भूमि के अपयोजन हेतु प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय संथाल परगना प्रमंडल दुमका के पत्रांक 13/रा0, दिनांक– 11.02.16 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा CA land के DGPS reading प्राप्त हुआ है। जंगल–झाड़ी भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा CA land के DGPS reading इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची मुख्यालय से बाहर हैं अतः उपरोक्त सूचना सरकार को सीधे समर्पित की जा रही है।

विश्वासभाजन

15/2/2016

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

Punasi Jalasaya 288.62 ha 15.02.16